जगदीश - लक्ष्मीनारायण मु.न. 53/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
14.5.25	पत्रावली पेश। अधीनस्थ उपलब्ध नहीं हुई बास्ते तलब दिनांक 3.6.25 को पेश हो।	
3.6.25	पत्रावली पेश। अधीनस्थ उपलब्ध नहीं हुई बास्ते तलब दिनांक 4.7.25 को पेश हो।	
4.7.25	पत्रावली पेश। तलब उपलब्ध हुई। पत्रावली बराये आदेश दिनांक 11.7.25 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर सत्यमेव जयते
11.7.25	पत्रावली पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

p
अपील संख्या 53 / 2022

1 जगदीश पुत्र श्री नानूराम जाति जाट निवासी चोखा का बास तहसील धोद जिला सीकर।
2 मोतीराम पुत्र श्री चोखाराम जाति जाट निवासी चोखा का बास तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री लादुराम जाति जाट निवासी चोखा का बास तहसील धोद जिला सीकर।
2 तहसीलदार एवं उपपंजीयक धोद तहसील धोद सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद पीठासीन अधिकारी श्री मिथिलेश कुमार आरएएस मु.नं. राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09 / 2020 उनवानी लक्ष्मीनारायण बनाम जगदीश वगै. दिनांकित 17.05.2022 जिसके तहत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया कांउटर आवेदन स्वीकार कर गलत रूप से उभयपक्षों को विवादित भूमियों के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत पाबंद किया गया है।

अपील संख्या 54 / 2022

1 जगदीश पुत्र श्री नानूराम जाति जाट निवासी चोखा का बास तहसील धोद जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2 मोतीराम पुत्र श्री चोखाराम जाति जाट निवासी चोखा का बास तहसील धोद जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

अपीलांटस

बनाम

1 लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री लादुराम जाति जाट निवासी चोखा का बास तहसील धोद जिला सीकर।
2 तहसीलदार एवं उपपंजीयक धोद तहसील धोद सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद पीठासीन अधिकारी श्री मिथिलेश कुमार आरएएस मु.नं. राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2020 उनवानी लक्ष्मीनारायण बनाम जगदीश वगे. दिनांकित 17.05.2022 जिसके तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया गया जाकर गलत रूप से उभयपक्षों को विवादित भूमियों की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत पाबन्द किया गया है।

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री झाबरमल रायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 11/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 09/2020 में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर ग्राम चोखा का बास की भूमि खसरा नम्बर 10 के संदर्भ में ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से कांउटर क्लेम प्रस्तुत कर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को विवादित भूमि को विकय करने एवं अप्रार्थीगण के कब्जे दखल अंदाजी नहीं करने के लिए पाबंद करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला वाद विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया है। इससे व्यथित होकर प्रार्थी की ओर से पृथक—पृथक अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से जहां एकतरफ अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत किये गये काउंटर टी.आई. आवेदन को स्वीकार करने का आदेश पारित किया गया है परन्तु जो अनुतोष प्रदत्त किया गया है वह अपीलान्टस द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुरूप नहीं है। इसलिए अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से दोनों पक्षकारों को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत गोलमाल आदेश पारित किया गया है, जिसके कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने उद्देश्य में सफल हो गया है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों का सही रूप से विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया है इसलिए भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं का जो विवेचन किया गया है वह विधि अनुसार सही नहीं है। इस कारण भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। कानूनन मौका व रिकार्ड की यथास्थिति जैसा आदेश अंतरिम स्तर पर ही पारित किया जा सकता है। आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतिम निस्तारण के समय पारित नहीं किया जा सकता इसलिए भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीले स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2009 (1) आरजे पेज 483 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2076–79 के अनुसार विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा विवादित आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी साबित है। चूंकि इस स्टेज पर आराजी का विक्रय अन्तरण होता है या मौका स्थिति का परिवर्तन होता है या एक दूसरे के कब्जे–काश्त में दखलअंदाजी होती है तो वाद बाहुल्यता होगी तथा सभी खातेदारान को भी अत्यधिक असुविधा होगी। उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 सहखातेदार है तथा वर्षो से काबिज है। यदि विवादित आराजी का बेचान होकर रिकार्ड में परिवर्तन होता है तो इससे वाद बाहुल्यता बढेगी तथा अपूरणीय क्षति उभयपक्षों को होगी। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से मूलवाद के निर्णय तक उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2076–79 के अनुसार विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा विवादित आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी साबित है। चूंकि इस स्टेज पर आराजी का विक्रय अन्तरण होता है या मौका स्थिति का परिवर्तन होता है या एक दूसरे के कब्जे–काश्त में दखलअंदाजी होती है तो वाद बाहुल्यता होगी तथा सभी खातेदारान को भी अत्यधिक असुविधा होगी। उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 1 व 2 सहखातेदार है तथा वर्षों से काबिज है। यदि विवादित आराजी का बेचान होकर रिकार्ड में परिवर्तन होता है तो इससे वाद बाहुल्यता बढेगी तथा अपूरणीय क्षति उभयपक्षों को होगी।

इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से मूलवाद के निर्णय तक उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार II)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर